



FORM III


फर्द अहकाम

(नियम - 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीडकाथाना
रामेश्वर बनाम भूमिधारी
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 एल आर एक्ट मु0 नं0 169 सन् 2021, जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28.04.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)</p> <p>28/4 कोरोना महामारी के प्रकोप को मध्य नजर रखते हुये इकजाई तारीख से जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/6/21 को पेश हो।</p> <p>16/6/21 कोरोना महामारी के प्रकोप को मध्य नजर रखते हुये इकजाई तारीख पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/8/21 को पेश हो।</p> <p>5/8/21 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी कावण्ड लम्पक तामील अरु०। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कमल में लायी जाती है। बहस इस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 18/08/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	

18/08/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2018 का अवलोकन




किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः पडौसी खातेदारान व सह खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 135 की प्रार्थी, सहखातेदारान एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान 06.06.2018 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)